

2.2
प्रपत्र-5

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक मोटर मार्ग निर्माण।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

शासनादेश की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है।


सहायक अभियन्ता
प्रादेशिक विकास विभाग
प्रान्तीय खंड, लो0मि0वि0
बागेश्वर


अधिशाली अभियन्ता
प्रादेशिक विकास विभाग
प्रान्तीय खंड, लो0मि0वि0
बागेश्वर

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत
संख्या- 428 111(2)/16-14(म0म0घ0)/2015



लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 23 जनवरी, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 90 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 90 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 509.15 किमी0 + 30 सेतु तथा लागत ₹ 4404.25 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 4404.25 लाख (चवालीस करोड़ चार लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 90 कार्यों हेतु ₹ 9.00 लाख (नौ लाख मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/प्रनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेंट रूलस-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखापीरक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

Copy to all AE

220/16-14-16 Date 30/1/16

उक्त निर्माण कार्य के निवर्तन में, प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 90 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 509.15 किमी0 + 30 सेतु तथा लागत ₹ 4404.25 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 4404.25 लाख (चवालीस करोड़ चार लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 90 कार्यों हेतु ₹ 9.00 लाख (नौ लाख मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

30.1.16

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखावर्षिक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-834/XXVII/(2)/2015 दि0-20 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव

संख्या:- (1)/111(2)/16-14(मु0मं0घो0)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ए0एस0पांगती)
उप सचिव

शासनादेश संख्या:- 428 / 111(2)/16-14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संलग्नक

51	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2140/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत भौरा पुल से कोदुली तक 03 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00+ 84 mtr.	30.20	0.10
52	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2151/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत भकुनधार से खाई जोशीझाला होते हुए रा.इ.का. छत्याणी तक 03 किमी. लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	28.38	0.10
53	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2150/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत पिंगलो से छुआ बैण्डा-अनु.जाति होते हुए ग्राम लस्करखेत होते हुए रा.इ. का. मैग्नीस्टेट लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	37.84	0.10
54	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1776/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत कौसानी-वल्दिगवाड से लोंबोंज तक लिंक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7.00+ 2Nc	390.06	0.10
55	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1763/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत लाहूर नदी में लखूटीबगड़ के पास 50 मी. स्पायन पैदल झूला सेतु का निर्माण कार्य।	50 mtr.	4.19	0.10
56	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1779/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर-कांधार- पथरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6.00+ 24 mtr.	80.04	0.10
57	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2122/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट के अन्तर्गत मनकोट मोटर मार्ग से बसेत तक 03 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	25.68	0.10
58	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1771/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट के अन्तर्गत ढपरी झाकरा मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य।	4.500	0.94	0.10
59	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1194/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-श्रीनगर के अन्तर्गत खिरसू-घोड़िया तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	78.60	0.10
60	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1193/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-श्रीनगर के अन्तर्गत कदुली से डांगू-तोली मोटर मार्ग का निर्माण।	3.00	69.15	0.10
61	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1195/2015 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-श्रीनगर के अन्तर्गत गजेली-सौड से खेड़ाखाल मोटर मार्ग को मंगलाकोटी तक विस्तार का कार्य।	2.50	49.75	0.10
62	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1471/2015 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र-कर्णप्रयाग के अन्तर्गत देवल से धानई तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	3.00	35.40	0.10
63	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1712/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत गर्जिया से जमतडी-कूटा मोटर मार्ग का कार्य।	10.00+ 30 mtr.	46.30	0.10
64	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1577/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत रीठा से चनुवाखरक 05 किमी0 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	27.50	0.10

शासनादेश संख्या:- 428 / 111(2)/16-14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संलग्नक

65	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1569/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-नैनीताल के अन्तर्गत कांडा से खौल मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	8.500	8.50	0.10
66	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2126/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट के अन्तर्गत कुचौली से झुटौली मोटर मार्ग निर्माण कार्य।	4.00	22.00	0.10
67	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2117/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट के अन्तर्गत काण्डा पड़ाव से जोगावाड़ी-नारायणगूठ-ढोलागांव-पंगचौड़ा-भनकोट मोटर मार्ग के अन्तर्गत पंगचौड़ा से भनकोट प्रभाग में 5.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	69.80	0.10
68	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2144/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत कन्धार, रौल्याणा, मजकोट मोटर मार्ग का नैलदेव पुरी होते हुए गैरसैण तक विस्तार का कार्य।	16.00	151.36	0.10
69	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1907/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-अल्मोड़ा के विकास खण्ड भैंसियाछाना के ग्राम लिंगुणता में जौगन नदी पर 40 मी. स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु का नव निर्माण कार्य।	40 mtr.	2.38	0.10
70	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2097/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-जागेश्वर के अन्तर्गत दन्या आरा सलफड़ मार्ग उटेश्वर के पास से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्व0 देवी दत्त जोशी के ग्राम सुकना तल्ला चुण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.00	11.58	0.10
71	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2097/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-जागेश्वर के अन्तर्गत सुवाखान चलनीछीना मोटर मार्ग के कठपतिया से ग्राम कोल-मेरी टाक तक 7 किमी. मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7.00	20.27	0.10
72	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2093/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-जागेश्वर के अन्तर्गत अल्मोड़ा दन्या मोटर मार्ग के चलमोड़ीगाडा के पास से स्व0 जनरल बी. सी. जोशी गांव दन्या डसीली मोटर मार्ग तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	8.69	0.10
73	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1820/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत रानीखेत-खैरना मोटर मार्ग में पन्याली अस्पताल से चमोली तसवाड़ तक 04 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	18.13	0.10
74	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1804/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के विकास खण्ड ताड़ीखेत के अन्तर्गत देवलीखेत से नाफडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	18.13	0.10
75	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1822/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत रींची-बिल्लेख मोटर मार्ग के सुखौली से स्यालीखेत हेतु 3.50 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.50	15.86	0.10

शासनादेश संख्या:- 428 / 111(2)/16-14(मु0म0घो0)/2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	कुल स्वीकृत लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1123/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत इमला से गांधीनगर अनु. जाति बस्ती से कोट खरीक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	15.00+ 1 No.	258.84	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1125/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत चौना से भराड़ी मंदिर मालुपाती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00 + 1 No.	28.00	0.10
3	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-76/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत रामगंगा नदी पर विसमन्या में 100 मी. विस्तार झूला पुल का निर्माण।	100 mtr.	5.00	0.10
4	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1126/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत डांगरी पुल से बसानी तक 03 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	12.72	0.10
5	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1121/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत सेरा से खरतोली तक 08 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00	94.40	0.10
6	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1389/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत चामी भैंसकोट में सुवालेख, लेग दुदधार तक 02 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	8.48	0.10
7	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1107/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत दनार में झूलापुल का निर्माण कार्य।	60 mtr.	2.40	0.10
8	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1124/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत मदकोट से रोपाड होते हुए राप्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	59.00	0.10
9	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1120/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत बसन्तकोट से डंगडंगधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.00 + 10 mtr	29.98	0.10
10	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1388/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत फगुवा से माणीतोक तक मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य।	8.00 + 1 Bridge	38.72	0.10
11	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1122/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत देवीबगड़ से चमराड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.00	82.60	0.10

शासनादेश संख्या:- 428 / 111(2)/16-14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संलग्नक

12	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1400/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत आदिचौरा से सीणी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	2.00	10.10	0.10
13	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1392/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी बरानी में डांगडी से बसानी गुजारेत कापा बारतौली तक 05 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	21.00	0.10
14	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1411/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी में मल्ला भैंसकोट में देगाड़ रौली में पुलिया निर्माण का कार्य।	10.00	0.40	0.10
15	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1435/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत डुबकिया रौली में आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण कार्य।	18 mtr.	0.72	0.10
16	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1396/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत नौलड़ा से मल्ला सौना तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	30.00	0.10
17	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1390/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत मल्ला भैंसकोट में कुतिमा से मा0 भैंसकोट तक 02 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	8.48	0.10
18	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1381/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत मवानी दारमा माणीधाम धामीगांव को जोड़ने हेतु गोरी नदी में 70 मी. स्पान के स्टील गर्डर मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	70 mt	4.90	0.10
19	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1135/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत खेला दारमा पैदल मार्ग पर सेतु का निर्माण कार्य।	18/100 +8 Span	9.80	0.10
20	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1118/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत जौलजीवी से राजी बस्ती गैनागांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00	8.00	0.10
21	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1415/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत तल्ला भैंसकोट में पुलिया का निर्माण कार्य।	15 mtr.	0.60	0.10
22	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1399/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत गटघोरगाड़ी में तल्ला घोरगाड़ी से मल्ला घोरगाड़ी तक 03 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	35.40	0.10
23	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1461/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत सैमली गधेरे में आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण कार्य।	0.900	0.36	0.10

शासनादेश संख्या:- 428 / 111(2)/16-14(मु0म0घो0)/2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संलग्नक

24	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1409/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम नापड़ नौलीबगड़ में आर.सी.सी. पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	12 mtr.	17.28	0.10
25	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1146/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत छिपलाकेदार हेतु रास्ते का निर्माण कार्य।	30.00	83.04	0.10
26	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1137/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत खेला से स्यांकुरी ग्राम का पैदल सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	5.00	56.67	0.10
27	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1410/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम सभा खतेड़ा में रोड़ तोक के लिए आर.सी.सी. पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	12 mtr.	0.48	0.10
28	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1282/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत मड़कनाली से सुरखाल पाठक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	59.00	0.10
29	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1112/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00+ 1 Bridge	65.88	0.10
30	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1085/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत देवराडीपन्त से काकडपानी सीमा बासुकी नाम पर्यटक स्थल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	12.00	50.88	0.10
31	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1711/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट-सैनथल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग का कार्य।	4.00	184.00	0.10
32	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1732/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग का कार्य।	8.00	98.27	0.10
33	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत लछेर से कटियानी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	12.00	55.20	0.10
34	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1722/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत मडमानले से रोछडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	23.00	0.10
35	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 04 किमी. मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.00	155.20	0.10
36	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1708/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत चमूबैण्ड से चौवाटी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	15.00+ 1 Bridge	92.10	0.10
37	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1332/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत मिर्धी बाजार से तल्ला मिर्धी-मल्ला मिर्धी से लघड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7.00 + 1 Bridge	141.40	0.10

शासनादेश संख्या:- 428 / 111(2) / 16-14(मु0म0घ00) / 2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016 क संलग्नक

38	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1725/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत टनकपुर-अरकोट-द्वितीय पैदल मार्ग के कनालीछीना ब्लॉक में मलान से अणागांव तक पैदल मार्ग में पैदल पुल का निर्माण।	15mt	0.60	0.10
39	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1177/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के अन्तर्गत खतेड़ा से अ.जा. ग्राम तिपुलकोट तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण।	3.50	107.45	0.10
40	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1292/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-पिथौरागढ़ के अन्तर्गत बेलतडी से क्वारबन तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.00	18.40	0.10
41	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1266/2015 के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र-चम्पावत के अन्तर्गत चम्पावत-मंच-तामली मोटर मार्ग के किमी0 34.00 से श्री गुरु गोरखनाथ मनिंदर तक पहुँच मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	4.00	0.10
42	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1961/2015 के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र-चम्पावत के अन्तर्गत श्यामलाताल कोट पूर्णागिरी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	15.00	51.86	0.10
43	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1984/2015 के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र-चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर में ग्राम पंचायत नायगोट के किरोडा नाले में 550.00 मी. स्पान पुल का निर्माण कार्य।	550 mtr.	60.50	0.10
44	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1570/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत बजेडी से धूरा मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	5.00	0.10
45	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1576/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट के अन्तर्गत घंघरेटी से तिवारी गांव के बीच झूला पुल का नव निर्माण कार्य।	200 mtr.	12.84	0.10
46	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1071/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र-रामनगर के अन्तर्गत मालधनचौड़ से शिवनाथपुर-देवीनाला-कुम्भगडार-पटरानी -ढेला तक 8 किमी. मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	11.50	0.10
47	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1056/2015 के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र-रुद्रपुर के नगर पंचायत दिनेशपुर वार्ड नं.-1 से पंचायत ग्राम चन्दननगर को जोड़ने के लिए कुनला नदी पर पुल एवं एप्रोच का निर्माण कार्य।	0.650 + 12 mtr.	2.22	0.10
48	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2119/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत चनूलीगठ से स्यूनी तक 03 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	38.10	0.10
49	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2121/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत गिरीछीना मोटर मार्ग व बागेश्वर बाय पास के बीच मिहिनीया मार्ग को लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	23.50	0.10
50	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-2161/2015 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम सभा मण्डलसेरा वाडी गधेरे से गंगनाथ मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	104.24	0.10

शासनादेश संख्या:- 428 / 111(2)/16-14(मु0म0घो0)/2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संलग्नक

76	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1813/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत, सल्ट के अन्तर्गत खैरना रानीखेत रामनगर राज्य मार्ग सं.-14 के महान से गनियाद्योली प्रभाग को 1.50 लेन में परिवर्तित कर सुधारीकरण का कार्य।	70.00	497.88	0.10
77	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1816/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत ड्यौड़ाखाल-सौलाधार से मंगरा-सौला- नाकुड़ा तक होते हुए ग्राम मिलोती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6.00	27.19	0.10
78	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1810/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत ग्राम नैकणा से बादुला वाया बाजन मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	9.00	47.26	0.10
79	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1814/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत सौगढ़ पन्तगांव चमड़खान सगीना नौगांव लछमौला लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	3.00	15.75	0.10
80	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1791/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत कमराड़ मानिला मन्दिर से शिलंग तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	26.26	0.10
81	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1789/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा-रहड़धार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6.00	31.51	0.10
82	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1805/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत बगनचौना से बादुला नैल-तल्ला पाली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	9.00	47.26	0.10
83	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1788/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत दौला बाजन मोटर मार्ग से बधाण सिन्तोली मोटर मार्ग तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	6.50	34.14	0.10
84	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1829/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत देवरापानी से मन्दिर होते हुए रिंगरिया तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.50	17.78	0.10
85	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1819/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत बैना-थकुलाड़ी प्रस्तावित मोटर मार्ग से ग्राम कोटार तक 3.00 किमी. सम्पर्क मार्ग एवं पुल का निर्माण कार्य।	3.00	14.24	0.10
86	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1827/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-रानीखेत के अन्तर्गत चौनलिया से कोट गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	15.81	0.10
87	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1787/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-द्वाराहाट के विकास खण्ड भिकियासैन के अन्तर्गत वृद्धकेदारेश्वर मन्दिर पर झूला पुल का निर्माण कार्य।	0.100	6.79	0.10
88	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1908/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- द्वाराहाट के अन्तर्गत खीड़ा धराखरक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	23.90	0.10

शासनादेश संख्या:- 428 / 111(2)/16-14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संलग्नक			
89	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1518/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- द्वाराहाट के अन्तर्गत भण्डारगांव मेंट्टा से कुनथ्याड़ी दूनागिरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एवं 9 मी. विस्तार आर.सी.सी. मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	6.00+ 9 mtr.	32.22 0.10
90	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1798/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- द्वाराहाट के अन्तर्गत मौंसी पुल पार से गोगता पर्थोला अफो (केदार) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	9.00	43.02 0.10
	योग:-	509.15 + 30 Brg	4404.25 9.00

(कुल ₹ नौ लाख मात्र)

(ए0एस0प्रागती)
उप सचिव